| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल0आर0/1456/2004/जालोर**<br>**प्रभू बनाम मथुरादास** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**
**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक, अपीलांट्गण।
(2) श्री गौरव दवे, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2

––

**निर्णय**

**दिनांकः 19.03.2021**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अति0 सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील सं0 23/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 12–03–2004 शीर्षक **''प्रभू बनाम सरकार व अन्य''** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जालोर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण बमुकाम बांकली प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 के अन्तर्गत आयोजित शिविर में मौके पर मजमे आम में जांच की गई व जानकारी प्राप्त की कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं0 208, 210, 211, 212 व 209 सरहद मौजा बांकली में स्थित है जिसके पुराने खसरा नं0 82 मिन, 82/1, 82/2, 81 व 82 मिन थे। नये नक्शें में खसरा नं0 211 के उत्तरी माठ पर खसरा नं0 212 रास्ते की लाईन डाल दी है व इसका रकबा 0–26 है0 किस्म बंजड़ दर्ज किया। सैटलमेन्ट को इस प्रकार नक्शें में रास्ता बताने का अधिकार नहीं था। नक्शें में सैटलमेन्ट की इस गलती से भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। अतः इसे नक्शें से हटाया जावें। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार आहौर से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर खसरा नं0 211 व 210 के उत्तरी माठ पर अंकित खसरा नं0 212 जो लाईन खींच का दर्ज किया है कि उक्त लाईन पूर्ववत नक्शें अनुसार हटाये जाने के आदेश दिनांक 1–1–2002 को पारित कर दिये। जिस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रभू व अन्य के द्वारा अपील विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल0आर0/1456/2004/जालोर**<br>**प्रभू बनाम मथुरादास** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–3–2004 से अपील अपीलांट्गण खारिज कर उपखण्ड अधिकारी जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–1–2002 को यथावत बहाल रखा गया। जिस निर्णय दिनांक 12–3–2004 से व्यथित होकर अपीलांट्गण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–1–2002 एवं 12–3–2004 कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम बांकली में स्थिल भूमि हाल खसरा नं0 211 व 210 में से होकर रास्ता पिछले 100 वर्षो से कदीमी चला आ रहा है जिसका उपयोग व उपभोग अपीलांट्गण प्रभू आदि एवं अन्य समस्त ग्रामवासी बांकली करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता आगे खसरा नं0 168 नदी में से गुजरता है। उक्त कदीमी रास्ता का ही इन्द्राज भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सन् 1977 में नक्शा में लाईन से तरमीम किया जाकर इसका खसरा नं0 212 कायम किया गया। उक्त कार्यवाही को करने का सम्पूर्ण एवं वैद्यानिक अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को प्राप्त था। विद्वान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में रेस्पो0 ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अपीलांट्गण प्रभू आदि को उन्होंने अपने आदेश दिनांक 20–3–2001 व 7–8–2001 के द्वारा अप्रार्थीगण के रूप में बतौर फरीक मुकदमा बनाया गया। इसके बावजूद अपीलांट्गण को साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एवं बिना सुनवाई किये न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत आदेश दिनांक 1–1–2002 को पारित कर दिया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वादग्रस्त भूमि एवं रास्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अपीलांट्गण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट ने जवाब भी प्रस्तुत कर दिया, इसके बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही गैर कानूनी आदेश दिनांक 1–1–2002 को पारित किया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 1–1–2002 को प्राप्त की उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौके पर कदीमी रास्ता चालू है। नक्शा में खसरा नं0 211 व 210 की मेड़ पर लाईन में रास्ता खसरा नं0 212 के रूप में कायम किया गया। इससे रेस्पो0 के खातेदारी अधिकारों पर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल0आर0/1456/2004/जालोर**<br>**प्रभू बनाम मथुरादास** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

कुठाराधात नहीं हुआ है तथा इनका खातेदारी रकबा भी कम नहीं हुआ है अपितु उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–1–2002 से रास्ता को निरस्त करने से रेस्पो0 सं0 1 व 2 की खातेदारी का रकबा पूर्व के मुकाबले अधिक हो गया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 1–1–2002 को पत्रावली शिविर (कैम्प) में पेशी लेकर अपीलांटगण की सुनवाई किये बिना एकतरफा में आदेश भी उसी दिन 1–1–2002 को पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अति0 सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–3–2004 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकार, जालौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–1–2002 निरस्त किये जाकर उनके समक्ष रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को खारिज किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किये हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जालौर ने प्रशासन गांव के संग शिविर 2001 शिविर बांकली में दिनांक 01–01–2002 में निर्णय पारित किया कि खसरा नं0 211 व 210 के उत्तरी माठ पर अंकित खसरा नं0 212 पर जो लाईन खींचकर दर्ज किया है कि उक्त लाईन पूर्ववत नक्शें अनुसार हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसके विरूद्व अपील होने पर विद्वान न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12–3–2004 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर के निर्णय दिनांक 1–1–2002 को यथावत बहाल रखा गया।

8– निगरानी के आधारों एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 01–01–2002 में अंकित है कि गत खसरा नं0 82, 82/1, 82/2 एवं 83 को गत नक्शें में पास–पास दर्शाया गया है तथा खसरा नं0 82 एवं 83 के बीच कोई रास्ता पुराने नक्शें में मौजूद नहीं है। मौका रिपोर्ट में अंकित है कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के गलत रूप से खसरा नं0 212 को नवीन

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/एल0आर0/1456/2004/जालोर**<br>**प्रभू बनाम मथुरादास** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

नक्शें को रास्ते की लाईन खींचकर अंकित किया है जिसे हटाया जाना उचित है। अतः उसे हटाया जाकर रेकार्ड दुरूस्ती की जावें तथा इसका रकबा 210 एवं 211 में मौके अनुसार मिलाना उचित है।

9– तहसीलदार, आहोर की जांच रिपोर्ट के अनुसार मजमे आम में मौके पर जानकारी प्राप्त कर ही विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा गया है जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा मजमे आम में तहसीलदार की जांच रिपोर्ट अनुसार निर्णय पारित किया है, जिससे अपील के आधार सिद्व नहीं होते हैं तथा विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपील खारिज योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–03–2004 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–01–2002 यथावत रखें जाते हैं।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)**

**सदस्य**